

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-एफ 4(ई)(ए-175/92) अलेसे-III/595-603. दिनांक:-

आदेश संख्या 31/2012-13

श्री अशोक कुमार गुप्ता, क0लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वारा अपराध सं. 203/2005 अंतर्गत धारा 7, 13 (1) (डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 में पंजीबद्ध होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2/157/कार्मिक (क-3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 26769-778 दिनांक 15.12.2005 के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने की दिनांक 29.09.2005 से निलम्बित किया गया था। वर्तमान में निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय, अलवर में है। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

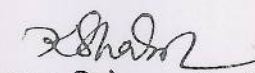
अतः वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार जो दिनांक 29.09.2005 से निलम्बित चल रहे हैं, को पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा बहाली पर इनका पदस्थापन उपकोष, आसपुर (डूंगरपुर) में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त बहाली माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अधधीन रहेगी। निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जांच के निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

उक्त आदेश राज्य सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग का पत्र क्रमांक प-2(1) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं।


निदेशक 26/4/2012

क्रमांक:-एफ 4(ई)(ए-175/92) अलेसे-III/595-603 दिनांक:- 26-4-12-
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(1) वित्त/राजस्व /2012 दिनांक 24.04.2012 के क्रम में।
2. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, अलवर।
4. संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) कार्यालय हाजा।
5. कोषाधिकारी, अलवर/डूंगरपुर।
6. उपकोषाधिकारी, आसपुर (डूंगरपुर)।
7. श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित), मुख्यालय कोषाधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि आप नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर फैंक्स द्वारा इस विभाग को सूचित करें।
8. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु) / पदस्थापन सीट।
9. निजी सहायक निदेशक।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)